



# राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर

(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक : F1(5)RajMES/Estt./Faculty/Seniority List/2021/1587

दिनांक 22/6/2021

## आदेश

इस विभाग के आदेश दिनांक 31.05.2021 के द्वारा फोरेन्सिक मेडिसिन विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गयी थी। राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी पर्सनल्स (रिक्रूटमेन्ट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्प्लॉयमेन्ट रूल्स, 2017 (as and when ammended) के नियम 28 के अन्तर्गत फोरेन्सिक मेडिसिन विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की जाती है :-

### SENIOR PROFESSOR

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Shrikant Subhash Asawa	General	22.06.1968

### PROFESSOR

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Hareesh Kumar	General	17.07.1972
2.	Dr. Anupamkumar Bansal	General	17.01.1981

### ASSISTANT PROFESSOR

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Chetan Kumar R.	General	07.03.1981
2.	Dr. Mahendra Singh	OBC	13.03.1986
3.	Dr. Arvind Kumar Goyal	General	24.04.1982
4.	Dr. Amit Shrivastava	General	05.02.1982



# राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर

(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

## SENIOR DEMONSTRATOR

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Praveen Singh Shekhawat	General	13.01.1988
2.	Dr. Lokendar Pal Singh	OBC	02.01.1983
3.	Dr. Ashish Tiwari	General	04.10.1994
4.	Dr. Sudhanshu Saran	General	05.01.1992
5.	Dr. Amit Kumawat	OBC	24.04.1990
6.	Dr. Reena Malviya	General	25.06.1988
7.	Dr. Dinesh Chand Khada	ST	15.08.1988

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी  
जयपुर

क्रमांक : F1(5)RajMES/Estt./Faculty/Seniority List/2021/ 1587

दिनांक 22/6/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज भरतपुर/भीलवाड़ा/पाली/चूरू/डूंगरपुर/बाड़मेर/सीकर।
3. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।
4. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी  
जयपुर